अंत्योदया–सरल

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना

पात्रता:

1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा
2. हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और हरियाणा में रह रहा हो तथा
3. उसकी स्वयं व पति/पत्नी सहित सभी साधनों से आय 2,00,000/– रू0 वार्षिक से अधिक ना हो।

अपवाद

उपरोक्त के अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वितीय सहायता प्राप्त संगठन से पैंशन प्राप्त कर रहा/रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नही होगा/होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल है:

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभ:

1. रू0 2500/– प्रतिमास 01.04.2021 से लागू।

आवश्यक दस्तावेज:

1. आयु का सबूत: (निम्नलिखित में से कोई एक):
   - जन्म प्रमाण–पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म एंव मृत्यु द्वारा जारी)।
   - विद्यालय प्रमाण–पत्र (5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा)
   - वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)

- यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नही है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतू लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डाक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सके।

2. निवास सबूतः (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक दस्तावेज जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–
   - राशन कार्ड।
   - मतदाता पहचान–पत्र।
   - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।
   - उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है, वह सैल्फ डिक्लेरेशन देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।

3 अन्य दस्तावेज
   - आधार कार्ड (ऐच्छिक)
   - आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी कॉपी सहित।
   - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30 / –	रू0 30 / –

सेवा का अधिकार समय सीमाः 60 दिन।